



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

श्रावण 25, मंगलवार, शाके 1944-अगस्त 16, 2022
Sravana 25, Tuesday, Saka 1944- August 16, 2022

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

कार्यालय जिला कलक्टर, राजसमन्द

प्रपत्र-7

(नियम 16 देखिए)

प्रारंभिक अधिसूचना

राजसमन्द, अगस्त 10, 2022

संख्या प.12/17 ()राजस्व/भू.अ./2018 :-जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि ग्राम किला कुम्भलगढ़, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द की 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि की लोक प्रयोजन राष्ट्रीय महत्त्व के केन्द्रीय संरक्षित स्मारक कुम्भलगढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की सुविधायें विकसित करने हेतु आवश्यकता है। जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा गठित आठ सदस्यीय समिति ने सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन का कार्य पूर्ण कर लिया है तथा पुनरीक्षित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट सार्वजनिक करके नियमानुसार जन सामान्य को उपलब्ध करा दी गई है। उपरोक्त भूमि अधिग्रहण से किसी भी प्रभावित परिवार के विस्थापन की संभावना नहीं है तथा विस्थापन की आवश्यकता के कारण निरंक है। उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़ को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक नियुक्त किया गया है। अतः यह अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम किला कुम्भलगढ़, तहसील कुम्भलगढ़, जिला राजसमन्द में उपरोक्त परियोजना हेतु 11 बीघा 05 बिस्वा भूमि, जिसका विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है, अधिग्रहण के अधीन है:

क्र.स.	खसरा नं.	क्षेत्रफल			भूमि का वर्गीकरण	काश्तकार का नाम
		बीघा	बिस्वा	बिस्वांसी		
1	572	0	7	-	बीड II	कालू लाल अर्जुन लाल पिता
2	573	0	0	10	हकत 2	मांगी लाल गीतादेवी पत्नी मांगी
3	574	0	9	-	खादी II	लाल ब्राहमण सा. देह. (लीज
4	575	0	17	10	बीड II	हेमेन्द्र सिंह सोलंकी नि: 3/143
5	576	0	4	-	खादी II	नाकोडा नगर सेक्टर नम्बर-03
6	577	0	14	-	बीड II (0-02) खादी II (0-12)	हिरण मगरी उदयपुर लीज
7	579	0	5	-	बीड II	दिनांक 27.10.15 के 19 वर्ष 11

						माह तक)
8	578	0	5	-	बीड II (0-01) खादी II (0-04)	श्री महादेव जी नीलकंठ जी स्थान देह
9	580	0	5	-	बीड II	महुम्मद खाँ पिता अलाबक्स मुसलमान सा.देह
10	581	0	7	-	बीड I (0-01) खादी I (0-06)	
11	582	0	8	-	बीड II (0-01) खादी II (0-07)	चमनसिंह पिता मेताबसिंह राजपूत सा.देह
12	583	0	1	10	खादी II	
13	584	0	7	-	बीड II	
14	585	1	9	-	बीड II	अब्दुल हकिम बाबुबसीर पिता सरदार मुहम्मद बाबुबसीर पिता सरदार मुहम्मद मुसलमान सा.देह हि.ब.
15	586	0	6	10	खादी I	
16	587	0	6	-	खादी I	
17	588	0	3	10	हकत 1	
18	589	1	2	-	खादी II	
19	590	0	7	-	खलिहान (0-02) बीड II (0-05)	
20	591	0	7	-	बीड II	
21	592	0	12	-	बीड II	इब्राहीम मुहम्मद हसन पिता रहीम बक्ष 1/2 गफूर मुहम्मद पिता लाल मुहम्मद
22	593	0	13	10	खादी II	
23	594	0	19	-	बीड II	शब्बीरमोहम्मद नीजामुद्दीन रईसा बेगम संजीदा बेगम पिता अलाउद्दीन बीबन पत्नी अलाउद्दीन मोहम्मद युसुफ मोहम्मद आलम मोहम्मद लियाकत आबेदा बानु कनीजा बानु शकीला बानु जमीला बानु पिता अजीज मुहम्मद जेतनबानो पत्नी अजीज मुहम्मद 1/2 चमन कादरी हकीम खां मोहम्मद नुर जमिला सलमा पि. अमिर मोहम्मद मो. खातुनबेगम पत्नी अमिर मोहम्मद 1/2 मुस्लमान सा.केलवाडा ना.न.174,175 विरासत
24	595/1	0	4	-	हकत 1	
25	595/2	0	5	-	हकत 2	
कुल क्षेत्रफल		11	5	0	11 बीघा 05 बिस्वा	

यह अधिसूचना भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11(1) के प्रावधानों के अंतर्गत, उन सभी के लिए जिनसे यह संबंधित हो सकता है, जारी की जाती है।

भूमि का नक्शा संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़) के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

समुचित सरकार, संबंधित भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, कुम्भलगढ़) तथा उनके कर्मचारियों को भूमि में प्रवेश, तलमापन तथा सर्वेक्षण करने, अवमुदा के भीतर खोदने या वेधन करने तथा कार्य के उचित निष्पादन के लिए आपेक्षित समस्त अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है, जो पूर्वकथित अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित तथा विनिर्दिष्ट है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अनुसार, कोई भी व्यक्ति इस अधिसूचना प्रकाशन की तिथि के बाद जिला कलक्टर, राजसमन्द की पूर्वानुमति के बिना विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार यथा क्रय विक्रय आदि नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिग्रहण पर आक्षेप, यदि कोई हो, हितबद्ध व्यक्ति द्वारा इस अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से 60 दिन की समयावधि के भीतर अधिनियम की धारा 15 के तहत जिला कलक्टर, राजसमन्द को प्रस्तुत किया जा सकता है।

नीलाभ सक्सेना,
जिला कलक्टर, राजसमन्द।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।